

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति याद संख्या :-524 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रोशन कुमार सुरीन.....आवेदक/विक्रेता

जिनिद होरो.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																															
30.12.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती रोशन कुमार सुरीन पिता/पति स्व० सबन सुरीन ग्राम-कदमा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">कमन्ता</td> <td rowspan="9">79</td> <td rowspan="9">1</td> <td>552</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>0.01½</td> </tr> <tr> <td>513</td> <td>0.03½</td> </tr> <tr> <td>523</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>520</td> <td>0.01½</td> </tr> <tr> <td>519</td> <td>0.05½</td> </tr> <tr> <td>516</td> <td>0.03½</td> </tr> <tr> <td>515</td> <td>0.0½</td> </tr> <tr> <td>517</td> <td>0.06½</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.31½</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती रोशन कुमार सुरीन पिता/पति स्व० सबन सुरीन ग्राम-कदमा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती जिनिद होरो पिता/पति कुशल होरो ग्राम-कमन्ता, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदिका/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कमन्ता	79	1	552	0.04	521	0.01½	513	0.03½	523	0.05	520	0.01½	519	0.05½	516	0.03½	515	0.0½	517	0.06½					0.31½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)																													
कमन्ता	79	1	552	0.04																													
			521	0.01½																													
			513	0.03½																													
			523	0.05																													
			520	0.01½																													
			519	0.05½																													
			516	0.03½																													
			515	0.0½																													
			517	0.06½																													
				0.31½																													



0176824111 की माग्या प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में विरही को द्वारा कोई आपति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 953 दिनांक 14.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खरीदगी भूमि है। आवेदक पंजी ॥ रैयत स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी ॥ के भाग सं० 4 के पृष्ठ सं० 193 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुरूचित जनजाति रामुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 678 दिनांक 13.10.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCC/2019/322658 दिनांक 25.03.2019 वो अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2019/282736 दिनांक 04.04.2019 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 953 दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती रोशन कुमार सुरीन पिता/पति स्व० सबन सुरीन ग्राम-कदमा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती जिनिद होरो पिता/पति कुशल होरो ग्राम-कमन्ता, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं० 1 खेसरा संख्या 522, 521, 513, 523, 520, 519, 516, 515 एवं 517 का कुल रकबा 0.31½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।